कार्यालय :– जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता।

न्यायालय परिसर, मेड़ता

Email : dlsa27merta@gmail.com Phone 01590-294039

क्रमांक :– ...01.......   दिनांक :– 01/03/ 2025

विस्तृत बोली आमंत्रण सूचना 01 /2024–25

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता जिला नागौर में स्थापित लीगल एड डिफेन्स कॉउसिल सिस्टम के लिए प्रतिष्ठित ब्रॉण्ड की निम्नानुसार विभिन्न आइटम्स **अनुमानित लागत 402000/–** क्रय हेतु अधिकृत निर्माताओं/डीलरों विकेताओ से जो बोली में वर्णित विषय वस्तु के लिए वस्तु एवं सेवा कर में पंजीकृत है, मुहरबंद बोली (तकनीकी–वाणिज्यिक एवं वित्तीय) निम्नलिखित प्रकार से आमंत्रित की जाती है। बोली प्रपत्र SPPP Portal से डाउनलोड किया जा सकेगा तथा मुहरबंद बोली दिनांक 11.03.2025 को अपरान्ह 1 बजे तक प्राप्त कर उसी दिवस तकनीकी–वाणिज्यिक बोली अपरान्ह 4 बजे खोली जायेगी।

क्र. सं	विवरण	QTY	अनुमानित राशि रू. Maximum	बोली प्रपत्र शुल्क रू	बोली प्रतिभूति राशि रू.
	Supply & Installation of			200/–	2% 8040/- or 0.5% as per rule 42 for specified dealer
1	Air Conditioners	3	165000		
2	All in one Computer	2	100000		
3	Computer Desktop	2	80000		
4	All in one Multipurpose Printer	1	25000		
5	Printer	2	32000		
	Total Budget		402000		

1. बोली आमंत्रण सूचना, विस्तृत आमंत्रण सूचना मय बोली दस्तावेज राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** और **https://nagaur.dcourts.gov.in** पर देखी जा सकती है। बोली निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जायेगी।
2. बोली द्वि–प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु तकनीकी योग्यताओं एवं शर्तों की सूची तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे तथा वित्तीय बोली वित्तीय लिफाफा में रखी जावे।
3. वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी। वित्तीय बाली के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावेगा।
4. बोली से संबंधित नियम, शर्त एवं बिड प्रपत्र किसी भी कार्यालय दिवस में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के यहाँ उपरोक्तानुसार बोली प्रपत्र शुल्क निर्धारित दिवस एवं समय तक जमा करवाकर प्राप्त किये जा सकते है या राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये बोली प्रपत्र का मूल्य रू 200/– बोलीदाता द्वारा पृथक से डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के पक्ष में बनाकर बोली के साथ संलग्न करना होगा। मुहरबंद बोली निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्रस्तुत की जा सकेगी तत्पश्चात् बोली स्वीकार नहीं का जायेगी। प्राप्त बोली निर्धारित दिनांक एवं समय को सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता के कक्ष में उपस्थित बोलीदाता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी।
5. बोली प्रतिभूति एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के पक्ष में बनाना होगा तथा तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा। बोली प्रपत्र शुल्क अप्रतिदाय (Non-Refunded) होगा। बोली प्रतिभूति राशि के बिना प्राप्त बोली पर कोई विचार नही किया जावेगा।
6. किसी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
7. बोली प्रपत्र में अंकित शर्तों के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कोई शर्त अंकित न की जाये। सशर्त बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
8. तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में क्वालिफाईड/सफल बोलीदाता की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

01/03/25
अध्यक्ष (क्रय समिति)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मेड़ता

क्रमांक : लेखा/2024–25/1318–1328   दिनांक : 01/03/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. नोटिस बोर्ड, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता, जिला –नागौर।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय, मेड़ता को जिला न्यायालय की वेबसाईट तथा http://SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड़ करने हेतु।
3. समस्त तालुका, मेड़ता न्यायक्षेत्र।

01/03/25
अध्यक्ष (क्रय समिति)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मेड़ता

Technical Envelop A

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता

तकनीकी–वाणिज्यिक बोली प्रपत्र (Technical-Commercial BID FORM)

1. कार्य का नाम :– **Bid for Supply of Electronic Equipment**
2. बोली दाता का नाम / फर्म का नाम, पत्र व्यवहार हेतु डाक का पता :– ....
   मोबाईल नं..................................... ई–मेल..
3. स्टोर्स / गोदाम / वर्कशॉप / फैक्ट्री सम्पर्क कार्यालय का पता ....
4. किसको संबोधित किया गया :– अध्यक्ष क्रय कमेटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता
5. बोली सूचना संदर्भ :– लेखा / 2024–25 / .... दिनांक...........................
6. बोली प्रपत्र राशि रू 200 / – का विवरण (तकनीकी बोली लिफाफा में रखा जावे।)

चैक / डिमांड ड्राफ्ट / नकद रसीद संख्या एवं दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	राशि

7. बोली प्रतिभूति (Bid Security) के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता (Payable at Merta) के पक्ष में बैंकर चैक / डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा करा दी गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे।

चैक / डिमांड ड्राफ्ट / नकद रसीद संख्या एवं दिनांक	बैंक का नाम	बैंक शाखा का नाम	राशि

8. बोलीदाता द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजों के साथ लगानी होगी। तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे।

विवरण	पंजीकरण संख्या
वस्तु एवं सेवा कर (GST)	
आय कर (PAN NO.)	
सूक्ष्म एवं लघु उघोग के रूप में पंजीकृत (MSE reg.no.)	

9. बोलीदाता द्वारा अपने बैंक का विवरण (बैंक स्टेटमेंट संलग्न किया जायेगा व तकनीक बोली लिफाफा में रखी जावे)

बैंक का नाम	शाखा का नाम एवं पता	IFSC CODE	खाता संख्या

10. बोलीदाता द्वारा गत 3 वित्तीय वर्ष (2021–22, 2022–23 एवं 2023–2024) के संबंधित कार्य का Average Annual Turnover राशि रू 10.00 लाख रूपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। जिसके समर्थन में उचित दस्तावेज संलग्न करावे।
11.

YEAR	PROFIT/LOSS	ANNUAL TURNOVER
2021-22		
2022-23		
2023-24		

12. हम, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता द्वारा जारी की गई बोली सूचना में वर्णित शर्तों से तथा संलग्न शीटों में दी गई उक्त सूचना की अतिरिक्त शर्तों से स्वीकार किए जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।
13. विभाग द्वारा बोली से संबधित किसी भी प्रकार की सूचना ई–मेल और मोबाईल पर मैसेज पर दी जायेगी, जिस पर कार्यवाही करने के लिए सहमत है।
14. **अनुमोदित प्रदायकर्ता द्वारा माल की सुपूर्दगी क्रय आदेश जारी होने की दिनांक से 7 दिवस के भीतर एफ.ओ.आर. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता** पर पूर्ण की जाएगी। सामग्री की तुरंत आवश्यकता है, अतः वे ही बोलीदाता बोली प्रस्तुत करे जिनके पास रॉ मेटेरियल, लेबर, मशीनरी तथा पर्याप्त संसाधन उपलब्ध है तथा निर्धारित सुपुर्दगी अवधि में आपूर्ति पूर्ण कर दी जायेगी।
15. **आपकी फर्म को अनुमोदित अंतिम 5 कार्यालय आदेश की प्रति संलग्न करे, जिसमे न्यूनतम कार्यालय आदेश राशि 50000 / – हो ।**
16. बोली द्वि–प्रक्रमी बोली के रूप में आमंत्रित की गई है। बोली दाता की तकनीकी क्षमता हेतु तकनीकी योग्यताओं एवं शर्तों की सूची तकनीकी बोली लिफाफा में रखी जावे तथा वित्तीय बोली वित्तीय लिफाफा में रखी जावे।
17. वित्तीय बोली निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी। वित्तीय बाली के साथ कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया जावेगा।
18. **सार्वधिक लोकप्रिय ब्रांड Most Popular Brand की ही बोली प्रस्तुत की जायेगी। स्थानीय स्तर पर ऐसेम्बलड रूप से तैयार प्रोडेक्ट इत्यादि की सप्लाई नहीं कि जावेगी।**
19. हमारे द्वारा जिस आईटम की बोली प्रस्तुत की गई है, उस आईटम के Broucher & Catalog of Make and Model जिसमें आईटम का पूर्ण विवरण दर्शाया गया है, बोली के साथ संलग्न है।
20. किसी फर्म द्वारा निविदा में भरी गयी दरें न्यूनतम L1 होने के पश्चात भी फर्म की निविदा स्वीकार कर कार्यादेश जारी करना न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। यदि दो या अधिक निविदादाताओं की दर समान आने पर सफल निविदादाता का चयन निम्नलिखित आधार पर किया जायेगा (1) फर्म / एजेन्सी का अनुभव, (2) वार्षिक टर्नओवर, (3) फर्म / एजेन्सी की प्रोफाइल इत्यादि।
21. जिस Make and Model की बोली प्रस्तुत की गई है, उस का सर्विस सेंटर नागौर, अजमेर, जोधपुर पर स्थित है।

01/03/25

दिनांक :–

स्थान :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता

General terms & conditions of Bid & Contract

Instructions:- The Law relating to procurement "The Rajasthan Transparency in Public Precurement Act,2012" (hereinafter called the Act) and "The Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013" (hereinafter called the Rules) under the said Act have coome into force which are available on the website of State Public Procuremet Portal http://sppp.raj.nic.in. Therefore, the bidder are advised to acquaint themselves with the provisions of the Act ad the Rules before particiapting in the bidding process. If there is any discrepancy between the provision of the Act and the Rules and this bidding document, the provision of the Act and the Rules shall prevail.

1. निविदादाताओं को इन शर्तों को सावधानी पूर्वक पढना चाहियें तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्ण रूपेण पालना करनी चाहियें। अगर निविदादाता को निविदा के शर्तों या विशिष्टताओं, जो निविदा में दियें गये है, के बारे में किसी प्रकार का निर्वचन (Interpretaion) /आशय के संबंध में कोई संदेह हो, तो निविदा भरने से पूर्व संस्था प्रभारी को प्रस्तुत कर (Clarification) प्राप्त कर लेना चाहिये तथा संस्था प्रभारी का निर्णय अंतिम होगा तथा निविदादाता जिसे स्वीकार करने के लिये बाध्य रहेगा।
2. बिड, सूचना में दिये गये निर्देशों के अनुसार यथोचित रूप से मुहरबंद लिफाफे में बंद कर पूर्ण रूप से भरी गई बिड के साथ निर्धारित प्रतिभूति राशि डी.डी./बैंकर्स चैक एवं आवश्यक प्रपत्र संलग्न कर उसे क्रय समिति, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के पते पर बोली सूचना में अंकित दिनांक तक जमा करा सकेंगे। निर्धारित समय के बाद एवं बिना निर्धारित प्रतिभूति राशि/डी.डी. /बैंकर चैक के प्राप्त बिडों पर विचार नहीं किया जाएगा एवं वह स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
3. बोली दो लिफाफा पद्धति से आमन्त्रित की गई है। बोलीदाता द्वारा तकनीकी–वाणिज्यिक बोली एवं वित्तीय बोली पृथक पृथक लिफाफें में प्रस्तुत करनी होगी। बोली दस्तावेज जो तकनीकी बोली के साथ संलग्न किये जाने है, उन्हे तकनीकी बोली प्रपत्र के साथ तकनीकी लिफाफा–अ में सील बन्द किया जायेगा। वित्तीय बोली प्रपत्र, जिसमें दरे अंकित कि जावेगी, को वित्तीय लिफाफा–ब में सी बन्द किया जायेगा। वित्तीय बोली प्रपत्र जिसमें दरे अंकित कि जावेगी, को वित्तीय लिफाफा–ब में सील बन्द किया जायेगा। तकनीकी एवं वित्तीय बोली लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रख कर सील बंद किया जायेगा। तीनों लिफाफों पर कार्य का नाम, कार्यालय का नाम जिसके लिए बोली प्रस्तुत की गई है एवं बिड सूचना संख्या अंकित कि जावे। वित्तीय लिफाफ मे वित्तीय निविदा ही रखी जावे। अन्य कोई प्रपत्र नहीं रख जावे।
4. तकनीकी प्रस्ताव वाले लिफाफे में भरा हुआ तकनीकी बिड प्रपत्र एवं समस्त दस्तावेज जो मांगे जा रहे है, रखे जायेंगे। बिडदाता को वित्तीय प्रस्ताव अलग लिफाफे में प्रस्तुत करने होंगे। यदि किसी बिडदाता द्वारा तकनीकी प्रस्ताव के साथ वित्तीय प्रस्ताव एक लिफाफें में दिया जाता है तो उसकी बिड निरस्त कर दी जावेगी।
5. प्राप्त बिडों की बोली में अंकित दिनांक को उपस्थित बिडदाता अथवा उसके प्रतिनिधी के समक्ष विभाग की उपापन समिति द्वारा खोला जायेगा। निर्धारित समय मे कोई बिडदाता अथवा उसका प्रतिनिधि उपस्थित नही होने पर विभाग की गठित उपापन समिति द्वारा बिना उसका इन्तजार किए निर्धारित समय पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता में कक्ष में खोली जायेगी। यदि उक्त दिनांक को राजकीय अवकाश रहता है तो आगामी कार्य दिवस को बिड खोली जायेगी।
(अ) सर्वप्रथम भरी हुई तकनीकी बिड खोली जायेगी।
(ब) तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त बिडदाता की ही वित्तीय बिड पर विचार किया जायेगा। सिर्फ तकनीकी बिड में सफल बिडदाता ही आगे कार्यवाही में भाग लेने के योग्य होंगे। वित्तीय बिड खोले जाने के संबंध मे सफल बिडदाता को दूरभाष पर या पृथक से पत्र द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
7. वस्तु एवं सेवा कर पंजीयन :– कोई भी बिडदाता यदि उस राज्य में प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नही है तो वह बिड नहीं देगा। इस संबंध में पंजीयन संख्या का उल्लेख किया जाना चाहिए तथा इसके अभाव में बिड को रद्द कर दिया जायेगा।
8. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा पेन्सिल से भरी गई किसी भी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। बिडदाता बिड के निविदा के प्रत्यके पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर मय मोहर अंकित करेगा।
9. आवेदित फर्म वित्त विभाग राज. की अधिसूचना संख्या प. 1(8)वित्त/साविलेनि/2011 दिनांक 19.11.2015 के तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप–धारा (1) के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में फर्नीचर की निर्माता के रूप मे पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति तकनीकी बिड लिफाफे में प्रस्तुत की जायेगी। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार की अधिसूचना संख्या प.1(8) वित्त/ साविलेनि/2011 दिनांक 19.10.2015 के अनुसार उपरोक्त उद्योग को Annexure"G" के अनुरूप संबंधित जिला उद्योग केन्द्र द्वारा जारी प्रमाण पत्र एवं Annexure"H" के अनुरूप निर्धारित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर, बोली प्रपत्र शुल्क एवं बोली प्रतिभूति एवं बोली कार्य संपादन प्रतिभूति राशि में नियमानुसार छूट दी जा सकेगी। निर्धारित बोली प्रपत्रशुल्क एवं बोली प्रतिभूति एवं बोली कार्य संपादन प्रतिभूति राशि के अभाव में निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
10. दरें (Rates) :–
    1) शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जायेगी। इसमें कोई त्रुटियों एवं/या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियां करनी हो तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए। दरों में सभी प्रकार के करों को पृथक से दिखाना चाहिए।
    2) बोली में दर अंकित करते समय किसी भी प्रकार की रिबेट/छूट घटाकर शुद्ध दरें (NET) ही दी जावे।
    3) बोली दरें खुलने के पश्चात् यदि कोई बोलीदाता अपने आप दर में कमी करता है तो वह प्रस्तावों में उपान्तरण माना जावेगा। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर बोली प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।
    4) बोलीदाता द्वारा बोली आमंत्रण में अंकित पूर्ण मात्रा हेतु बोली दी जावेगी। बोली आमंत्रण में अंकित मात्रा से कम मात्रा हेतु दी गई बोली मान्य नहीं होगी। जिसके आधार पर बोली निरस्त कर दी जावेगी।
    5) बोली में निर्धारित स्पेसिफिकेशन के लिए एक ही दर प्रस्तुत की जावेगी। एक से अधिक दर देने तथा निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अतिरिक्त अन्य स्पेसिफिकेशन के लिए दी गई दरों पर विचार नहीं किया जावेगा।
11. वित्तीय बोलीयों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार (Correction of arithmetic errors in financial bids) :– बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर, सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात् :–
    1) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा।
    2) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा ; और
    3) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंकगणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड (क) और (ख) के अध्यधीन रहते हुए अंकों में अभिव्यक्त रकम अभिभावी होगी।
12. निर्धारित बिड प्रारूप के अतिरिक्त अन्य प्रारूप में दी गई बिड पर विचार नहीं किया जायेगा। कार्यालय द्वारा ऐसी किसी भी बिड को प्राप्त नही करेगा, जो बिड प्रस्तुतीकरण के लिए नियत दिनांक और समय के पश्चात् व्यक्तिशः प्रस्तुत की गई हों। फैक्स द्वारा भेजी गई निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। कोई भी बिड, जो बिड के प्रस्तुतीकरण के लिए अंतिम समय सीमा के पश्चात् कोरियर/डाक द्वारा पहुंची हो, को विलंब से प्राप्त के रूप में चिह्नित और घोषित किया जा कर, बिना खोले ही रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा बिडदाता को लौटा दी जायेगी।
13. बिडदाता अपनी बिड या उसके किसी सारभूत भाग को न तो किसी अन्य एजेन्सी को सौंप सकेगा और नही किसी को आगे सब लेट कर सकेंगा।
14. बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि (Period of validity of Bids) :–

01/03/25

1) बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी। किन्तु उपापन की प्रकृति के आधार पर यह अधिक भी हो सकती है। लघुत्तर कालावधि के लिए विधिमान्य कोई बोली गैर प्रत्युत्तरदायी के रूप में उपापन संस्था द्वारा अस्वीकार की जायेगी।

2) बोलियों की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्व, उपापन संस्था आपवादिक परिस्थितियों में, बोली लगाने वालों से अतिरिक्त विनिर्दिष्ट समयावधि के लिए बोली की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करने के लिए अनुरोध कर सकेगी। बोली लगाने वाला अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है और ऐसी अस्वीकृत बोली प्रत्याहरण के रूप में मानी जायेगी किन्तु ऐसी परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति समपहृत नही की जायेगी।

3) ऐसे बोली लगाने वाले जो उनकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार से सहमत होते है, उनके द्वारा प्रस्तुत बोली प्रतिभूतियों की विधिमान्यता की कालावधि का विस्तार करेंगे या विस्तार करायेंगे या उनकी बोली की विधिमान्यता का विस्तारित कालावधिक को आवृत करने के लिए नयी बोली प्रतिभूतियां (Bid Securities) प्रस्तुत करेंगे। कोई बोली लगाने वाला जिसकी बोली प्रतिभूति विस्तारित नहीं की जाती है या जिसने नयी बोली प्रतिभूति प्रस्तुत नहीं की है, इसे उसकी बोली की विधिमान्यता की कालावधि के विस्तार के लिए अनुरोध को अस्वीकार किया जाना माना जायेगा।

15. बोलियों का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन ओर उपान्तरण (withdrawal, Substitution and modificaiotns of Bids) :–

1) बोली लगाने वाला बोली प्रस्तुत करने के पश्चात् उसके या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा (प्राधिकरण पत्र संलग्न हो) सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित लिखित नोटिस भेज कर उसकी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण कर सकेगा। बोली के तत्संबंधी प्रतिस्थापन या उपान्तरण के साथ लिखित नोटिस होना चाहिये। नोटिस –

a) बोली दस्तावेजों के अनुसार प्रस्तुत किया जाये और इसके अतिरिक्त लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "प्रत्याहरण", या "उपान्तरण" अंकित हो; और

b) बोलियों को प्रापत करने के लिए नियत अंतिम समय और तारीख से पहले बोलियों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा प्राप्त किया जाये या सीधे ही बोली के बक्से में डाल दिया जाये।

2) बोलियां, जिनके प्रत्याहरण का अनुरोध किया गया है, बोली लगाने वालों को बिना खोले लौटा दी जायेगी।

3) किसी बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थापन या उपान्तरण बोलियों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम समय और तारीख के पश्चात् नहीं किया जायेगा।

16. मूल्यांकन की कसौटी :– तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाइड बोलीदाता/संवेदक की आईटमवाईज न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली का मूल्यांकन किया जावेगा।

17. मूल्यांकन में कीमत/क्रय अधिमान :– बोलियों के मूल्यांकन और संविदा के अधिनिर्णय में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित और बोली दस्तावेजों में यथा–वर्णित कीमत और/या क्रय अधिमान पर विचार किया जावेगा।

18. अनुमोदित प्रदायकर्त्ता के लिए यह समझा जाएगा कि उसने प्रदाय किये जाने वाले माल की शर्तों विनिर्देशों, आकार मेंक एवं रेखाचित्रों आदि की सावधानीपूर्वक जाँच कर ली है। यदि उसे इन शर्तों विनिर्देशों, रेखाचित्र आदि के किसी भाग के आशय के बारें में कोई संदेह हो, तो वह संविदार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, उसे क्रेता अधिकारी को भेजेगा तथा उससे स्पष्टीकरण प्राप्त करेगा।

19. दरे गन्तव्य स्थान मेड़ता के लिए एफ.ओ.आर उद्धत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषंगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु किसी भी प्रकार के करों को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। किसी भी गाड़ी भाड़े (कार्टेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी निर्धारित स्थान पर दी जाएगी।

20. स्पेसिफिकेशन (Specification) :-

1) बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिफिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुएं बोली एवं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

2) यदि प्रदाय की जावे वाली वस्तुएं निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अभाव में अस्वीकार कर दी जाती है, तो अस्वीकृत किये माल के बदले निर्धारित स्तर का माल बिना अतिरिक्त कीमत के क्रय आदेश में निर्धारित सप्लाई अवधि में ही देना होगा।

3) यदि बोलीदाता किसी अनुमोदित आईटम को सप्लाई करने में किसी भी कारण से असमर्थ है तो उसके समकक्ष या अन्य मेक का आईटम उपापन समिति के अनुमोदन के पश्चात् बोलीदाता द्वारा उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। यदि बोलीदाता अनुमोदित सामग्री प्रदाय नहीं करती है तो उपापन समिति स्थानीय बाजार से उक्त या उसके समकक्ष बाजार में उपलब्ध अन्य मेक की सामग्री क्रय करने के लिए स्वतंत्र होगी एवं अन्तर राशि बोलीदाता की प्रतिभूति राशि अथवा बिल से समायोजित की जावेगी।

4) अस्वीकृत किया गया माल बोलीदाता द्वारा अस्वीकृति की सूचना के 15 दिन के अन्दर विभागीय परिसर से वापिस ले जाना होगा। 15 दिवस के पश्चात् विभागीय परिसर से माल नहीं ले जाने पर विभाग द्वारा निर्धारित भण्डारण व्यय बोलीदाता से वसूला जावेगा। माल अस्वीकृत होने की सूचना के 30 दिवस पश्चात बोलीदाता द्वारा विभागीय परिसर से माल नही ले जाने पर विभाग को उसका निस्तारण करने हेतु पूर्ण अधिकार होगा। अस्वीकृत माल के संबंध में यथोचित सुरक्षा रखी जावेगी, लेकिन विभगीय परिसर में ऐसे अस्वीकृत माल की क्षति, कमी, घाटा, नाश, टूट, फूट, हानि होने पर विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा।

5) वारंटी एवं गांरटी का खंड :– निविदादाता यह गारन्टी देगा कि माल/स्टोर्स/वस्तुएं खरीदे जाने वाले उस माल/स्टोर्स/वस्तुओं की सुपुर्दगी के दिनांक से बोली में अंकित अवधि के लिए यथा विनिर्दिष्ट विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप बनी रहेगी तथा इस तथ्य के बावजूद कि क्रेता ने उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को उपरोक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाया गया या वे समाप्त हो गये है (तथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम परिणामी होगा), तो क्रेता उक्त मालों/स्टोर्स/वस्तुओं को या उनके उस भाग को जो उक्त विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप नही पाये जाएंगे, रद्द करने के लिए अधिकृत होगा। ऐसे रद्द किये जाने पर माल/स्टोर्स/वस्तुएं विक्रेता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। निविदादाता, यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया तो वह उस माल आदि को या उसके उस भाग को जिसे क्रेता अधिकारी द्वारा रद्द कर दिय गया है, बदल देगा, अन्यथा निविदादाता ऐसी क्षति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गयी शर्त के उल्लंघन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गयी कोई भी बात से इस संविदा के अधीन या अन्यथा उस संबंध में क्रेता अधिकारी के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकुल प्रभाव नही डालेगी।

21. निरीक्षण एवं परीक्षण :–

1) उपापन समिति या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रदायकर्ता के परिसर में कार्य आदेश के तहत् तैयार की जा रही सामग्री का किसी भी समय पर निरीक्षण कर सकता है।

2) बिडदाता अपने कार्यालय के परिसर, गोदाम एवं वर्कशॉप का पूर्ण पता अंकित करेगा जहां उससे व्यक्तिगत/डाक द्वारा सम्पर्क किया जा सके, यदि कार्यस्थल पर वह स्वयं उपस्थित नहीं रहता है तो उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम जो पूर्ण पता सूचित करेगा, कार्यास्थल पर उपस्थित रहेगा तथा जिससे इस प्रयोजन हेतु सम्पर्क किया जा सके।

3) सप्लाई प्राप्ति के समय यह सुनिश्चित् करने के लिए निरीक्षण व जांच की जा सकेगी कि वे निर्धारित स्पेसिफिकेशन के अनुरूप है या नहीं। जहाँ आवश्यक हो, प्रावधित किया गया हो या व्यवहारिक हो, वहाँ परीक्षण ससरकारी प्रयोगशालाओं/प्रतिष्ठित परीक्षण गृहों में करवाया जा सकेगा तथा परीक्षण पर यदि समान विहित स्पेसिफिकेशन के स्तर के अनुरूप पाया जाएगा तो उन्हे स्वीकार किया जाएगा।

4) परीक्षण प्रभार :– बोलीदाता से समान प्राप्त होने पर विभाग द्वारा जिस सामान का परीक्षण कराया जायेगा उसके परीक्षण प्रभार सरकार द्वारा वहन किये जावेगे। यदि बोलीदाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण करना चाहता हो या यदि परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात हो कि सप्लाई किया गया समान विहित स्तर या स्पेसिफिकेशन के अनुसार नही है तो, परीक्षण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किये जावेंगे। बोलीदाता द्वारा अंकित स्पेसिकेशन के अनुसार ही बोली प्रस्तुत की जावेगी। प्रदाय की जाने वाली सभी वस्तुए बोली एवं शर्तों से संबंधित निर्धारित स्पेसिफिकेशन के पूर्णतया अनुरूप होगी। जहां पर वस्तुओं की आई.एस.आई स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गयी हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर वह मार्क होना चाहिए।

22. माल की सप्लाई एवं सुपूर्दगी अवधि (Delivery of Goods and Period) :–

1) बोलीदाता बिड में माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर माल की सही दशा में सप्लाई करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा परिवहन की सामान्य स्थिति में माल में किसी प्रकार की क्षति न हो तथा गन्तव्य स्थल पर माल की सुपूर्दगी अच्छी दशा में प्राप्त हो सके। माल प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त सामग्रियों की जांच, निरीक्षण किये जोन पर माल में पाई गई किसी प्रकार की हानि, क्षति, टूटफूट या रिसाव या किसी कमी के होने के मामले में हुई हानि एवं कमी की पूर्ति के लिए बोलीदाता उत्तरदायी होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त लागत स्वीकार नही की जाएगी।

2) माल सप्लाई के लिए निर्धारित स्थान पर सही दशा में सुपुर्द किया जायेगा। यदि सप्लायर चाहे तो वह किसी भी प्रकार की हानि से बचने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता क्षरा ही वहन किया जाएगा तथा कार्यालय से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी। परिवहन के दौरान माल की किसी भी प्रकार की हानि के लिए

यह कार्यालय उत्तरदायी नही होगा तथा न ही बोलीदाता द्वारा किसी भी प्रकार के नुकसान का भुगतान करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

3) बोलीदाता द्वारा समस्त माल रेल्वे या गुड्स ट्रांसपोर्ट के जरिये भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि चुका कर कार्य आदेश जारी होने के दिनांक से 7 दिवस के भीतर गन्तव्य स्थल (FOR) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता पर सप्लाई किया जायेगा। अगर कार्यालय द्वारा भाड़ा एवं अन्य प्रभार आदि का भुगतान किया जाता है तो उसकी वसूली प्रदायकर्ता के बिल से की जायेगी।

4) यदि बोलीदाता द्वारा माल की सप्लाई निर्धारित मानदण्ड एवं स्पेसिफिकेशन के अनुसार नहीं की जाती है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय संविदा को निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करते हुए संविदा को निराकृत (Repudiate) कर सकते है।

23. भुगतान (Payments) :-

1) बोली में सप्लाई के समय अग्रिम भुगतान की शर्त स्वीकार्य नहीं होगी अतः बोली में दर अंकित करते समय अग्रिम भुगतान की शर्त नही दी जावें। यदि अग्रिम भुगतान की शर्त लगाई जाती है तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त कर दी जावेगी।

2) सप्लाई के समय माल प्राप्त होने पर निरीक्षण उपरान्त् माल विभागीय स्पेसिफिकेशन के अनुसार पाये जाने पर भुगतान कर दिया जावेगा। अतः बोली में दर अंकित करते समय माल की सप्लाई के पूर्ण करने पर भुगतान हेतु समय सीमा की शर्त अंकित नही की जावे। यदि भुगतान हेतु समय सीमा अंकित की जावेगी तो सशर्त बोली मानकर बोली निरस्त की जा सकेगी।

3) सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में जी.एस.टी.बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस संबंध में वित्त विभग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश निर्देश के तहत् वैधानिक कटौतियां कर भुगतान किा जावेगा।

4) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जायेगा।

5) उन मामलों के संबंध में जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब वे परीक्षण कर लिए जाएंगें तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप होंगे।

6) परिनिर्धारित क्षयों, कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल से की जाएगी। कम सप्लाई, टूटफूट, रद्द किए गए मालों की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सप्लायर संतोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिनिर्धारित क्षय (Liquidaed mamaes) के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी।

24. सुपुर्दगी अवधि एवं परिनिर्धारित क्षय (Delivery Period and Liquidated damages) :-

1) जिस बोलीदाता की बोली स्वीकार की जाएगी वह बोली आमंत्रण में अंकित सप्लाई अवधि में समस्त माल की सप्लाई निर्धारित गन्तव्य स्थान पर पूर्ण करेगा। सप्लाई अवधि, विभाग द्वारा जारी सप्लाई आदेश की दिनांक से शुरू होगी।

2) परिनिर्धारित क्षति, स्पुनपकंजमक कंउंमेद्ध के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जाएगी जिनकी निविदादाता सप्लाई करने में असफल रहा है :-

a) विहित सुपूर्दगी अवधि के लिए एक चौथाई (1/4) अवधि तक के विलंब के लिए :- 2.50:

b) विहित सुपूर्दगी अवधि की एक चौथाई (1/4) अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि (1/2) से अनधिक के लिए :- 5.00 :

c) विहित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनिधक के लिए :- 7.50 :

d) विहित सुपूर्दगी अवधि की आधी अवधि (1/2) से अधिक किन्तु विहित अवधि की तीन चौथाई (3/4) से अनिधक के लिए :- 7.50 :

e) विहित सुपूर्दगी अवधि की तीन चौथाई (3/4) अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए :- 10.00 :

f) विलंब की अवधि मे आधे दिन से कम के भाग को छोड़ दिया जायेगा।

g) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।

3) यदि बोलीदाता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए चाहता है, तो वह लिखित में उस प्रधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय दिया जायेगा न कि सप्लाई को पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जायेगा।

4) यदि माल की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियन्त्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपूर्दगी की अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

25. बोली प्रतिभूति (Bid Security) -

1) बोली प्रतिभूति राशि बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाले प्रत्येक बोलीदाता से बोली आमंत्रित सूचना में किया जायेगा। राजस्थान के लघु उद्योगां की दशा में यह प्रदाय के लिए प्रदत्त मात्रा का 0.5 प्रतिशत होगी।

2) बोली प्रतिभूति राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेड़ता के नाम पर बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करायी जावेगी।

3) उपापन संस्था के पास अन्य बोलियों में प्रतिक्षित विनिश्चय के संबंध में रखी हुई बोली लागने वाले की बोली प्रतिभूति, नयी बोली के लिए बोली प्रतिभूति में समायोजित नहीं की जायेगी। तथापि, मूल रूप से जमा करायी गयी बोली प्रतिभूति बोली के पुनः आमंत्रित किये जाने की दशा में विचार में ली जा सकती है।

4) असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने की शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा।

5) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है या लौटायी जा सकती है यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

6) बोली प्रतिभूति, बोली की मूल या बढ़ायी गयी विधिमान्यता की कालावधि से तीस दिन आगे तक विधिमान्य रहनी चाहिए।

7) बोली लगाने वाले से ली गई बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid Security) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :-

a) जब बोलीदाता बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहृत (withdraws) या उपान्तरित (Modifies) करता है।

b) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (supply/work order) देने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार, यदि कोई हो, का निष्पादन नही करता है।

c) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/work order) के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है।

d) जब बोलीदाता प्रदाय/संकर्म आदेश (Supply/work) दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Performance Security) जमा नही कराता है।

e) यदि बोलीदाता राज. लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 और राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति (Peformance Security) -

1) सफल बोलीदाता से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम की पांच प्रतिशत होगी। संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम की दस प्रतिशत होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में बिेली प्रदाय के लिए आदिश्ट परिमाण की रकम की एक प्रतिशत होगी।

2) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक का बैंकर चैक या बैंक ड्राफ्ट के रूप में स्वीकार की जायेगी।

3) कार्य सम्पादन प्रतिभूति किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारंटी। यह जारी करने वाले बैंक से सत्यापित करायी जायेगी।

4) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज नहीं दिया जायेगा।

5) कार्य सम्पादन प्रतिभूति वारंटी बाध्यताओं और रखरखाव और दोष दायित्व कालावधि को सम्मिलित करते हुए बोली लगाने वाले की समस्त संविदाजात बाध्यताओं के पूरा होने की तारीख से परे साठ दिनों की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी।

01/03/25

6) सफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समयोजित की जा सकी है या लौटायी जा सकती हे यदि सफल बोलीदाता वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।

7) कार्य संपादन प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से समपहरण (Forfeiture of Peformance Secutiy) निम्नलिखित मामलों में किया जा सकेगा :–

a) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

b) जब बोलीदाता सम्पूर्ण प्रदाय/सेवा संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

c) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि मे सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफल रहता हो।

d) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। इस संबंध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. करार का निष्पादन (Execution of agreement) :–

1) कोई उपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित् किया जाता है।

2) सफल बोलीदाता को प्रदाय आदेश की रकम के 0.25 प्रतिशत (न्यूनतम रू. 500 तथा अधिकतम रू 15000) के बराबर राशि के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर प्रारूप 17 में एक करार पत्र स्वयं के व्यय पर निष्पादन करना होगा।

3) यदि बोली लगाने वाला, जिसकी बोली स्वीकृत की जा चुकी है, विनिर्दिष्ट कालावधि में लिखित उपापन संविदा पर हस्ताक्षर करनें में विफल रहता है या अपेक्षित कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने में विफल रहता है तो उपापन संस्था, सफल बोली लगाने वाले के विरूद्ध अधिनियम या इन नियिमें के उपबंधो के अनुसार कार्रवाई करेगी।उपापन संस्था, ऐसे मामलों में उपापन प्रकिया प्रकियाओं के अनुसार, न्युनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दरों पर अगले न्यूनतम या सर्वाधिक लाभप्रद दर की बोली लगाने वाले को स्वीकृति का प्रस्ताव दे सकेगी।

28. <u>परिणाम में परिवर्तन का अधिकार (Right to vary quantity)</u>

1) यदि उपापन संस्था परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण उपापन की कोई विषयवस्तु उपाप्त नहीं करती है या बोली दस्तावेजो में विनिर्दिष्ट परिमाण से कम उपाप्त करती है तो बोली लगाने वाला बोली दस्तावेजों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय , किसी भी दावे या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

2) अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिमाणों के लिए पुनरादेश, यदि यह बोलीदस्तावेजों में उपबंधित हो, संविदा में दी गयी दरों और शर्तों पर दिये जा सेकेंगे यदि मूल आदेश खुली प्रतियोगी बोलियां आमंत्रित करने के पश्चात दिया गया था। प्रदाय या पूर्ण होन की कालावधि भी आनुपातिक रूप से बढायी जा सकेगी। पुनरादेश की सीमाएं निम्नलिखित होंगी–

a) संकर्मो की दशा में व्यष्टिक मदो की मात्रा 50 प्रतिशात और मूल संविदा के मूल्य का 50 प्रतिशत।

b) मूल संविदा के माल या सेवाओं के मूल्य का 50 प्रतिशत।

29. अधिनिर्णय के समय एक से अधिक बोली लगाने वालों के बीच परिमाणों का विभाजन (Dividing quantities among more than one bidder at the time of award) :- सामान्य नियम के रूप में उपापन की विषयवस्तु के समस्त परिमाण उस बोली लगाने वाले से उपाप्त किये जायेंगे जिसकी बोली सवीकार की गयी है। तथापि, जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाल उपापन की विषयवस्तु का परिमाण बहुत अधिक हैं और इस सम्पूर्ण परिमाण का प्ररदाय करना उस बोली लगाने वाले की क्षमता में नहीं हो सकेगा जिसकी बोली स्वीकार की गयी है या जब यह समझा जाये कि उपाप्त की जाने वाली उपापन की विषयवस्तु गम्भीर और महत्वपूर्ण प्रकृति की है तो ऐसे मामलों में परिमाण को उस बोली लगाने वाले जिसकी बोली स्वीकार की गयी है और द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले या उसी क्रम में और भी बोली लगाने वालों के बीच उस बोली लगाने वाले की दरों पर जिसकी बोली स्वीकार की गयी है, ऋजु, पारदर्शी और साम्यापूर्ण रीति से विभाजित किया जा सकेगा, यदि ऐसी शर्त बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट है। स्वीकार्य कीमत पर पहुंचनें के लिए प्रथम निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 1) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचित के समान होगा। तथापि , परिमाणों के विभाजन की दशा में, जैसा बोली दस्तावेजों में पहले से प्रकट किया गया हो, तत्पश्चात द्वितीय निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 2), तीसरे निम्नतम बोली लगाने वाले (एल 3) इत्यादि (एल 1 द्वारा स्वीकार की गयी दरों पर) को किया गया प्रति–प्रस्ताव बातचीत नहीं समझा जायेगा।

30. बोली लगाने वाले के द्वारा सतयनिष्ठा संहिता का भंग (Breach of code integrity by the bidder) :- अधिनियिम के अध्याय 4 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी बोली लगाने वाले या यथास्थिति,भवी बोली लगाने वाले के द्वारा सत्यनिष्ठा संहिता के किसी उपबन्ध के भंग की दशा में उपापन संस्था धारा 11 की उप–धारा (3) और धारा 46 के उपबन्धों के अनुसार समुचित कार्रवाई कर सकेगी।

31. यदि बिडदाता ऐसी शर्त आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है, तो उसक बिड को संक्षितप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नही समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकरी द्वारा जारी किए गए बिड स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किय गया हो।

32. उपापन समिति किसी भी बिड को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बिड नही है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्ध करने या जिन वस्तुओं के लिए बोलीदाता ने बोली दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के बोली को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को स्टोर्स की मदों को विरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

33. किसी या समस्त बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपापन संस्था का अधिकार– उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायीत्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और संविदा के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। ऐसा करने के कारण लेखबद्ध किये जायेंगे।

34. बिडदाता को करार के निष्पादन के समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–

1) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (Partnersheep Deed) की एक स्वहताक्षरित प्रमाणित प्रति।

2) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष

3) एक मात्र स्वामित्व में मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नंबर

4) कम्पनी के मामलें में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र कमउपापन संविदा, ऐसी तारीख से प्रवृत होगी, जिसको स्वीकृति पत्र या आशय पत्र बोली लगाने वाले को प्रेषित् किया जाता है।

35. यदि संविदा के निर्वचन (Interpretation), आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जाएगा जो उस विवदा के लिए एकमात्र मध्यस्थ (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप–अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप–अधिकारी इस संविदा से संबद्ध नही होगा तथा उसका निर्णय अन्तिम होगा।

36. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या निविदादाता) द्वारा मेड़ता स्थित न्यायालयों में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

01/03/25

अध्यक्ष क्रय कमेटी
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
मेड़ता

प्रमाणित किया जाता है कि बोली प्रपत्र तथा प्रपत्र के संलग्न सभी शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ कर समझ लिया गया है तथा इनके सभी पृष्ठों पर स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हस्ताक्षर कर दिये गये है।

दिनांक :–
स्थान :–

बोलीदाता के हस्ताक्षर मय
नाम व सील

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY, MERTA DISTRICT

(B) TECHNICAL SPECIFICATION OF THE FURNITURE

SR. NO	NAME OF ITEM	SPECIFICATION
1	Air Conditioners with Stablizer	1.5 Ton Split Air Conditioner with **Stablizer,** DESIGN- White, **Minimum 5 star Rating** GENERAL- Cooling Capacity Rated/Min(W) 5000 / -,Cooling Power Consumption Rated/Min(W) 1310,Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm) 998 x 345 x 210,Cooling Capacity Max(W) 5800, Product Type- Wall Mounted, Rated Input Voltage(V, Hz)-187 ~ 276, 50,Refrigerant Type-R32, Sound Power(Cooling) SH/H/M/L/SL(dB(A))-45 / 39 / 31,HVAC Type C/O Product Type II-Inverter **One Year comprehensive waranty on site from Installation**
2	All in one Computer	**Supply & Installation of All-inOne Destktop (one)** Minimum 21.5 Inch FHD Display (One) with 1. Processor Intel core i3-, 12th Generation. 2. Base Frequency:- 2.1 GHZ Base & More 3. Operating System: MS OFFICE 11 4. Chipset:- Intel Original Motherboard Chipset 5. Memory 8 GB or higher , 6. Hard Orive:- 500GB SSD 7. Network Interface- Integrated 10/100/ GBE LAN 8. Wirless: Inbuilt Wifi, Inbuilt Speakers, Inbuilt Mic & Camera 9. Ports:- 4 USB 2.O or above 10. Wireless/ wired Keyboard & Mouse i- (Same Make as PC) **One Year comprehensive waranty on site from Installation**
3	Computer Desktop	**Supply & Installation of Desktop Computer** (CPU + Monitor + Keyboard + Mouse)Desktop 1. Processor:-Iintel Core i3-12th Generation. Base Frequency:- 3.6 GHz or Higher 2. Motherboard and Chipset:- intel 8-460 or higher Original Motherboard Preloaded 3. Operating System:- M.S. OFFICE 11 4. System Architecture:- 64 Bit,, Memory:-4 GB , 4Gx1, DDR4, 2666MHz 5. Hard Disk Drive 1TB 7200 RPM 3.5" SATA HDD 6. graphics Iintel UHD Graphic 630 7. Network interface- integrated 10/100/1000 GBE LAN 8. Warless: inbuilt Wi-Fi & Bluetooth. Ports:- 4 USB 2.0,4 USB 3.1G 9. I Audio, 1 M microphone/Head phone, 1 HDMI, 1VGA, 10. Keyboard Standard 104 Keys Keyboard 11. Mouse:- Standard Scroll Optical Mouse 12. Monitor19.5" (Same Make as PC) **One Year Brand warranty on site from Installation**
4	All in one Multipurpose Printer	Multifunction Printer • Print, Scan, Copy, Fax • Print Speed (A4): Up to 29 pages/minute • First Print Out Time (A4): Approx. 5.4s (variable to 3 second) • Print resolution: Up to 2,400 (equivalent) x 600 dpi • Recommended Monthly Print Volume: 150 – 2,000 pages • Scan Support- A4,Legal/Letter **One Year comprehensive waranty on site from Installation**
5	Printer	Single Function Laser Monochome Duplex Wi-Fi Printer, with 1 Year Brand Warranty. • Print • Print Speed (A4): Up to 29 pages/minute • First Print Out Time (A4): Approx. 5.4s • Print resolution: Up to 2 400 (equivalent) x 600 dpi • Recommended Monthly Print Volume: 150 - 2 000 pages **One Year comprehensive waranty on site from Installation**

1. All above items must be with warranty period including all spares & service as mentioned above.
2. Brochure & Cataloge of Make and Model quoted should be attached.
3. The items must be orginal Popular Branded as per specification. if any deviation/local assembled product etc. found, legal action will be taken.
4. Technically qualified Bidder has to submit sample on your expenses and risk before the Department Purchase Committee as and when desired at District Legal Service Authority, Merta city within 03 days from the date of intimation via e-mail/phone. The Technical Committee will inspect the sample of desired Brand physically and quality parameter, if any sample not fulfills this parameter, it will be declared technically disqualified. If any bidder not submit sample as desired, the same will also be declared technically dIsqualified.

01/03/25

Signature of the Bidder with Seal
Dated :-

Chairman, Purchase Committee
District Legal Service Authority,Merta

Technical Envelope

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORITY, MERTA

SCOPE OF WORK

This tender is issued on behalf of Secretary, District Legal Service Autority, Merta District- Nagaur and Supply of Electronic items for District Legal Service Autority, Merta District-Nagaur and the material is to be supplied within 7 days from the date of issue of Supply Order. The list of furniture items with their specification for DLSA is as enumerated below.

SCHEDULE OF ESTIMATED REQUIREMENT ITEMS ARE GIVEN UNDER FOR ON – SITE

SR.NO.	Name of Article	District Legal Service Authoriy Merta
1	Air Conditioners	3
2	All in one Computer	2
3	Computer Desktop	2
4	All in one Multipurpose Printer	1
5	Printer	2

Above Quantities are subject to availablility of Budget as per final tender rates. Office Shall not be bound to purchase full quantity.

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Seal
Name :-
Address :-

01/03/25

सामाग्री सप्लाई हेतु बोलीदाताओं की तकनीकी योग्यताएं एवं शर्तें

–: तकनीकी योग्यताएं एवं आवश्यक दस्तावेज :–

Sr.No.	Particular	Attached page no.
1	DD/BC of Bid Fee in Favour of District and Session Judge,Merta	
2	Bid Security Amount DD	
3	Self Attested GST Registration Certificate	
4	Self Attested Pan Card	
5	Past Work Order copy Enclosed	
6	Ca Certificate with ca's registration Number/Seal clearly stating the average turnoer of the bidder for last three year as per Bid Form	
7	Bid Form Signed &Seal	
8	General Terms & Condition.SR16 Signed and seal	
9	Technical Specification with compliance Sheet signed & Seal	
10	Annexure ABCD of Transparency in Public Procurement act signed &seal	
11	Annexure E Self Declaration by the bidder regarding compliance Terms and condition of bid & price fall clause & conformity/no deviation signed & seal.	
12	Annexure F SELF-DECLARATION NO BLACKLISTING	
14	Annexure G sr-11 signed and seal	
15	Brochure / Catalogue	
16	Financial Bid signed and seal	

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Seal
Name :-
Address :-

01/03/25

FINANCIAL ENVELOPE

OFFICE OF THE DISTRICT LEGAL SERVICE AUTHORTIY, MERTA

Financial Bid for Supply and Installation of Electronic Items

Sr.No.	Name of Article (Make or Model Name)	Estimated Amount (maximum) Per court	Qty. (per court)	Rate Quoted Price Per Unit in Indian Rs. (only basic price,all other taxes (if any) may be shown seperately.		
				Name of Brand	Basic price per unit	Total Prices in Words
1	Air Conditioners ( )		3			
2	All in one Computer ( )		2			
3	Computer Desktop ( )		2			
4	All in one Multipurpose Printer ( )		1			
5	Printer ( )		2			

1. I/We have gone through the terms & conditions as stapulated in the bid enquiry document and confirm to accept and abide the same.
2. No other charges would be payble by the Department.
3. The delivery & installation of the atems will have to be made at court campus Transportation/ carriage charges will be provided for the same.
4. The rate quoted should be firm and final and written in ink or typed against each item and should in no case be ovenwritten. Any overwriting /modification of any type will lead to rejection of the bid.
5. Rates are to be quoted item-wise otherwise bid will be treated as unresponsive. L1 will be decided on individual item basis.
6. Our Status in respect of GST is : GST Registered Bidder/GST Unregistered Bidder/Bidder has Opted for Composition Scheme (Strike off whichever is not applicable)

Dated:-
Place:-

Signature of the Bidder with Seal

07/03/25

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the ....(First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:

    (i) Name of the

2. Name and address appellant:...

    (ii) Official address, if any:...

    (iii)Residential address:...

of the respondent(s):

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against
and name and designation of the officer / authority
who passed the order (enclose copy), or
a statement of a decision, action or omission of
the procuring entity in contravention to the provisions
of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented
by a representative, the name and postal address
of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:

....

....

.... (Supported by an affidavit)

7. Prayer:

....

....

....

Place ...,.......................................   Appellant's Signature

Date ....

01/03/25

Annexure :- A

Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any Person participating in a procurement process shall :-

A. not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

B. not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

C. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

D. not misuse any information shared between the Procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

E. not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

F. not obstruct any investigation or audit o a procurement process;

G. disclose conflict of interest, if any; and disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

A Bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more Parties in a bidding process if, including but not limited to:-

A. have controlling partners/shareholders in common; or

B. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

C. have the same legal representative for purposes of the bid; or

D. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or

E. the Bidder participates in more than one bid in the same bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same sub-contractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

F. A bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or

G. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Date: Signature of the Bidder with Rubber Seal

Place:

01/03/25

Technical Envelope A
Annexure :- B

Self Declaration by the Bidder regarding Qualifications

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of...in response to their Notice Inviting Bids No.................Dated...................... .I/We hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/We do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition;
6. I/We do not have unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
7. I/We do not have any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years does not have any debarment by any other procuring entity is not insolvent in receivership, bankrupt or being wound up, not have its affairs administered by a court or a judicial officer.
8. I/We do not have its business activities suspended and is not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons.
9. I/We will comply with the code of integrity as specified in the bidding document. Also,this is to certify that, the specifications mentioned in the Technical bid, I/ We shall supply if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum technical specifications of the bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.

Date: Signature of the Bidder with Rubber Seal

Place:

01/03/25

Technical Envelope A
Annexure :- C

Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority

The designation and address of the Second Appellate Authority

1. Filing an appeal
   If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;

   Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

   Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.
2. The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavor to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appeal Authority, as the case may be.
4. Appeal not to lie in certain cases
   No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-
   (a) Determination of need of procurement;
   (b) Provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiation;
   (d) Cancellation of a procurement process;
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

01/03/25

5. Form of Appeal

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed from alorg with as many copies as there are respondents in the appeal.
b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or second Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6. Fee for filing appeal

a) Fees for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be, non-refundable.
b) The fee shall be paid in the form of band demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7. Procedure for disposal of appeal

a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
b) On the date fixed for hearing the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be shall,
   (i) hear all the parties to appeal present before him; and
   (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter
c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Rubber Seal

01/03/25

Technical Envelop

Annexur :- D

Additional Conditions of Contract :-

1. **Correction of arithmetic errors :-**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:-

a. if there if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is btained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the bid Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

b. if there if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

c. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to clause (a) and (b) above

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities :-**

a. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

b. Orders for extra items may be placed by the procuring entity in accordance with the Scheduled of power as prescribed by the Finance Department, upto 5% of the value of the original contract, if allowed in the bidding documents. The fair market value of such extra items payable by the procuring entity to the contractor shall be determined by the procuring entity in accordance with guidelines prescribed by the administrative department concerned.

c. Orders for additional quantities may be placed, if allowed in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under:-

(a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and

(b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

25

01/03/25

Provided that in exceptional circumstances and without changing the scope of work envisaged under the contract, a procuring entity may procure additional quantities beyond 50% the quantity of the individual items as provided in the origin work order with prior approval of the Administrative Department concerned -as follows:-

i. the procuring entity shall obtain prior approval for revised requirements from the competent authority for reasons to be recorded in writing. Wherever necessary, due to the quantum of orders for additional quantities, the procuring entity shall obtain prior and revised technical, financial and administrative sanctions from the competent authorities;
ii. that the additional quantities so procured shall be part and parcel of the work being executed;
iii. that the limit of 50% of the value of original contract shall not be exceeded in any case.

d. **Dividing quantities among more than one bidder at the time of award:-**
As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the bidder, whose bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose bid is accepted and the second lowest bidder or even more bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the bidder, whose bid is accepted.

01/03/25

Technical Envelope A
Annexure :- E

Self Declaration by the Bidder regarding Compliance Terms and Condition of Bid & Price Fall Caluse & Conformity/ No Deviation

In relation to my/our Bid submitted to ......:..for procurement of...in response to their Notice Inviting Bids No..................Dated........................ .I/we hereby declare that:

1. I/We also confirm acceptance of the all General Terms and Conditions of tender document. I/We certified that the prices quoted against the tender are competitive and without adopting any unfair/unethical means in including cartelization.
2. I/ We hereby certified that presently our Company/Firm, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.
3. I/We certified that tendering Compay/Firm has not been banned/blacklist by any Government Department of the State/Government of Inida/PSU/Local Bodies/Other Insitute from business dealings.
4. I/We also certified that the information given above is factually correct, true and nothing material has been concealed.
5. This is to certify that, the specifications of bid Items which I/ We have mentioned in the bid, and which It We shall supply if I/ We am/ are awarded with the work, are in conformity with the minimum specifications of the Tender/ bidding document and that there are no deviations of any kind from the requirement specifications.
6. I/ we have thoroughly read the tender/ bidding document and by signing this certificate,we hereby submit our token of acceptance to all the tender terms & conditions without anydeviations.
7. I/ We certify that the price I/ we have quoted is inclusive of all the cost factors involved in the end-to-end implementation and execution of the work, to meet the desired Standards set out in the Tender/ bidding Document.
8. I/We certify that the Goods and Services Tax (GST) will not to be charged more than what is payable under the provision of the relevant Act or the Rules made there under.
9. I/We certify that the goods on which GST has been charged have not been exempted under the GST Act or the rules made there under and the charges on account of GST on these goods are correct under the provisions of that Act or the Rules made there under.
10. I/We certify that the Seller is registered with above indicated GSTIN as dealer in the State where in their Billing address is located for the purpose of GST.
11. I/We hereby certify that the rate offered in Financial Bid is reasonable and justified and we are not marketing lower rates to other department on condition of the tender and contract.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and the bid if any to the extent accepted may be cancelled.

Signature of the Bidder with Seal

Dated :-
Place :-

01/03/25

Technical Envelop
Annexur :- F

SELF-DECLARATION NO BLACKLISTING

([illegible])

To,
(Procuring entity),
....
....
....

In response to the NIB No: ------------------------------ Dated-------------for ------------------, as an Owner/Partner/Director of ------------------------------, I/ We hereby declare that presently our Company/ firm----------------------------, at the time of bidding, is having unblemished record and is not declared ineligible for corrupt & fraudulent practices either indefinitely or for a particular period of time by any State/ Central government/ PSU/ UT.

If this declaration is found to be incorrect then without prejudice to any other action that may be taken, my/ our security may be forfeited in full and our bid, to the extent accepted, may be cancelled.

Dated :-
Place :-

Signature of the Bidder with Seal
Name :-
Address :-

01/03/25

Annexur :- G

CERTIFICATE
(See clause 10)

File No ____________________
Date______________

It is certified that M/s ______________________________________ was inspected by ____________________________ on dated ________ and the facts mentioned by the enterprise are correct as per the record shown by the applicant. The enterprise is eligible for Price Preference or Purchase Preference or both under this notification.

The certificate is valid for one year from the date of its issue.

Office Seal

Signature
(Full Name of the Officer)
General Manager
District Industries Centre
Rubber Seal/Stamp

Enclosure- (1) Application
(2)
(3)

01/03/25